न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -47/2021-22

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सन्तोष मिर्धा बनाम यशोदा देवी

20.12.21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	सन्तोष मिर्धा पिता–स्व० मंगल मिर्धा, ग्राम–मिर्धा टोली तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–डोम, पेशा–खेती बारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	यशोदा देवी पति–दिनेश सेठ, ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–धोबी, पेशा–गृहिणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री राजेन्द्र महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–08/09/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता यशोदा देवी पति–दिनेश सेठ, ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–धोबी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़/241	982	5379	08 डी० चौहद्दीः– उ०–नहर। द०–विक्रेता नीज। पू०–गौरा माँझी। प०–रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–744(ii) दिनांक–16/12/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत दुरगा चरन डोम वगै० के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी II रैयत के पोता लगते है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम गुरूदयाल मिर्धा वगै० है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015–16 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता लगते है। तथा उतराधिकारी के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़ II किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–1.97 एकड़ लगभग भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को इलाज एवं मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) विक्रेता एवं क्रेता क्रमशः डोम एवं धोबी समुदाय के सदस्य है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक मौजा–तमाड़ के निवासी है जो एक ही थाना तमाड़ अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता सन्तोष मिर्धा पिता–स्व० मंगल मिर्धा, ग्राम–मिर्धा टोली तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–डोम, पेशा–खेती बारी, को क्रेता यशोदा देवी पति–दिनेश सेठ, ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–धोबी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–24/09/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सन्तोष मिर्धा पिता–स्व० मंगल मिर्धा, ग्राम–मिर्धा टोली तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–डोम, पेशा–खेती बारी, को क्रेता यशोदा देवी पति–दिनेश सेठ, ग्राम–तमाड़, पो०–तमाड़, थाना–तमाड़, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–धोबी, पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला

अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तमाड़	तमाड़ / 241	982	5379	08 डी० चौहद्दीः– उ०–नहर। द०–विक्रेता नीज। पू०–गौरा माँझी। प०–रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

20/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

20/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.23 18:40:05 +05:30
Location: 10.93.79.7